



पट्टा विलेख

श्री सा 01/9/प्रध/5/16
निबन्ध-स्थान के लिये



आज दिनांक 14/8/2002

को एक और राजस्थान के राज्यपाल

की ओर से नगर सुधार न्यास भीलवाड़ा जिसे इसमें एतद् पश्चात् पट्टादाता कहा गया है और दूखरी और
अध्यक्षमहिना आश्रम... पुनर्स्थापित श्री भीलवाड़ा जिसे इसमें एतद्
पश्चात् पट्टादाता कहा गया है, के बीच यह अनुबन्ध लिखा गया।

शैक्षणिक प्रयोजनार्थ

चूँकि पट्टादाता एक ~~निबन्ध~~ भूखण्ड (प्लॉट) जिसका वर्णन आगे संलग्न अनुसूची में किया गया है इस
विलेख में एतद् पश्चात् बताए गये ढग से पट्टाधारी को पट्टे द्वारा अतिरिक्त करने के लिए सहमत हो गया है।

आतः अब यह अनुबन्ध इस बात कि साक्ष्य के रूप में है कि इस विलेख के निष्पादन से पहले
प्रीमियम के प्रयोजन से दिये गये ₹ 0,89,000/- रुपये अक्षरे ~~दत्त गाब नैपाती हणार~~ रूपये
मात्र की राशि जितकी प्राप्ति पट्टादाता एतद् द्वारा अंगीकार करता है और नगर कर निर्धारण (Urban
Assesment) जिसका अधिकार एतद् पश्चात् आरक्षित रखा गया है और पट्टाधारी की ओर से प्रसंविदाओं से
जो एतद् पश्चात् अंतर्दृष्ट हे के प्रतिफल स्वरूप पट्टादाता उस सम्पूर्ण भूखण्ड (प्लॉट) को जो ~~निकाश विधि~~
योजना के तहत (Lay out Plan) में स्थित ~~निबन्ध~~ भूखण्ड संख्या ~~आरक्षित है~~ के नाम
जिसका क्षेत्रफल ~~34200~~ वर्गगज है जिसे ~~निबन्ध~~ भूखण्ड का अधिक विशेष रूप से वर्णन इस
अनुबन्ध के आगे लिखी हुई अनुसूची में किया गया है तथा उसकी सीमायें अधिक स्पष्टता के लिये इस विलेख
में साथ संलग्न प्लान जो इसमें ~~निबन्ध~~ भूखण्ड के अथवा उसके सम्बन्ध समस्त अधिकार सुविधा में
(Eminentees) और अनुलग्न वस्तुएँ जो भी हों एतद् द्वारा पट्टाधारी एतद् द्वारा को अन्तर्गत करा है। पट्टाधारी
एतद् द्वारा पट्टान्तरित की गई भूमि दिनांक 17/5/02 से निम्नान्वे वर्ष की अवधि के लिए उसे वार्षिक निर्धारित
नगर कर रुपये ~~27225~~ ~~27225~~ जो अप्रिम देय है अथवा ऐसा अन्य निर्धारित नगर कर जो प्रसंविदाओं
तथा आगे अंतर्दृष्ट किये गये प्रतिबन्धों के अधीन एतद् पश्चात् निर्धारित किया जाय की माँग की पालना करते
हुए तथा नगर सुधार न्यास के कार्यालय में अथवा अन्य स्थान में जो पट्टादाता द्वारा एतद् प्रयोजनार्थ अधिकृत
किया जाय उसका शोधन जो सब कर्तवियों से रहित हो वार्षिक भुगतानों में दिया जावेगा जिसमें पहला ऐसा
भुगतान नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा को किया जावेगा। पट्टाधारी द्वारा करते हुए धारित करेगा।

परन्तु इस अनुबन्ध में आगे अंतर्दृष्ट अपवादों आरक्षणों (Reservation) प्रसंविदाओं तथा प्रतिबन्धों
अर्थात् निम्नांकित के सदैव अधीन रहते हुये :-

श्री सा 01/9/प्रध/5/16

सेक्रेट्री
महिला आश्रम, भीलवाड़ा

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten text at the bottom

अंतिम प्रमाणपत्र

1. पट्टादाता निवास भूखण्ड पर या उसके नीचे की समस्त खानों खनिजों कोयला स्वर्ण (Gold) भूमि के तेल (Earth Oil) और खदानों को तथा निवास भूखण्ड का तत्समय उस पर खड़े किसी भवन को धरातल के लिए किसी अवलम्ब की व्यवस्था किये बिना उसे रहने दिये बिना सब समय ऐसे समस्त कार्य और बातें जो अन्वेषण खनन प्राप्त करने, हटाने और उनका उपयोग करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या इन्टर हो करने के लिये पूरे अधिकार और शक्ति को अपवर्जित करके अपने अधिकार में आरक्षित रखता है परन्तु सदैव यह शर्त रहेगा कि एतद् द्वारा आरक्षित अधिकारों या उसमें से किसी अधिकार का प्रयोग करने में प्रत्यक्ष: हुई किसी क्षति के लिये पट्टादाता पट्टाधारी को उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।
2. पट्टाधारी अपने लिये, अपने दादों, निष्पादकों (Executors) प्रबन्धकों और अभि हस्तांकितियों (Assign connts) के लिये पट्टादाता के निम्न रूपेण प्रसंविदा करता है अर्थात् -
 - A. पट्टाधारी पट्टादाता को एतद् द्वारा आरक्षित वार्षिक किराया उन दिनों का और एक ढंग से देगा जिनका इसमें पूर्ण उल्लेख किया गया है।
 - B. पट्टाधारी निर्धारित नक्शे (Lay out plan) से किसी भी रूप में विचलित नहीं होगा न उप विभाजन का संमिश्रण (Amnlgamation) द्वारा अन्यथा निवास भूखण्ड की परिभाषा में कोई परिवर्तन करेगा।
 - C. पट्टाधारी 17/5/Q2..... से 2 वर्षों के अवधि और इस तरह से निर्दिष्ट देय संविदा की सार्यस्तु होगी के भीतर भवन के नक्शे (Building Plan) के लिये स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अपने स्वयं के व्यय पर निजी निवास भूखण्ड पर निजी आवास के लिये भवन के स्वीकृत नक्शे के अनुसार एक निवास भवन खड़ा करेगा और उसे पर्याप्त रूप से तथा कोशलपूर्ण ढंग से पूरा करेगा तथा सुधार न्यास से हक में एक पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) प्राप्त करेगा। परन्तु पट्टाधारी ऐसे उपग्रहों और सेवकों के क्वाटर के अतिरिक्त जिनका नगर सुधार न्यास द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए उक्त भूखण्ड पर एक से अधिक भवन खड़े नहीं करेगा।
 - D. पट्टाधारी अपने निवास भूखण्ड या उसके किसी भाग को तो न बेचेगा न हस्तान्तरण करेगा न अभिहस्तारित करेगा या न किसी अन्य प्रकार से उस पर से कब्जा छोड़ेगा सिवाय पट्टादाता की पूर्व लिखित सहमति के परन्तु शर्त यह है कि ऐसी सहमति, इस पट्टे के प्रारम्भ से दस वर्ष तक नहीं दी जावेगी। तब तक पट्टादाता की राय में ऐसी सहमति प्रदान करने के लिये विशेष परिस्थियां विद्यमान न हो परन्तु शर्त यह है और है कि सहमति दी जाने की दशा में पट्टादाता ऐसे निबन्ध और लगा सकता है जिन्हें वह उचित समझे।
 - E. जब कभी पट्टाधारी निवास भूखण्ड से किसी भी तरह से हस्तान्तरित किया जाय हस्तान्तरित इस पट्टे में अंतर्दिष्ट समस्त प्रसंविदाओं और प्रतिबन्धों से बाध्य होगा और उनके लिये सब तरह से उत्तरदायी होगा।